

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र.स. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग  |
|--------|-------------|--------------------|---|
| 1.     | 159/2025    | लीलाधर             | 1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। |
| 2.     | 160/2025    | शिवानन्द           | 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।                                |

आदेश की दिनांक : 10.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलों में चुनौती का आधार समान है। अतः सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 159/2025 लीलाधर बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की आरपीएससी की जो मेरिट सूची है, उसमें अपीलार्थी से नीचे की वरियता क्रमांक वाले व्यक्तियों को वरिष्ठता दी गई है और अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है, जो उचित नहीं है।
4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह

पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 159/2025 में एवं छायाप्रति अपील संख्या 160/2025 में संलग्न की जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)